

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक(सदस्य सचिव)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार- नई दिल्ली।

पत्रांक: मा0मु0नगर/एन0ओ0सी0/

/2011-12 दिनांक 23/6/11

विषय: आर्यन इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, जानसठ, मुजफ्फरनगर को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आर्यन इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, जानसठ, मुजफ्फरनगर को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजे जाने में तदनिमित्त गठित मण्डलीय समिति को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- विधालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विधालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विधालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी तथा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली सम्बद्धता प्राप्त होने की दशा में पूर्व से अन्य परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5- संस्था को 30प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा पूर्व से मान्यता प्राप्त होने के सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छिपाया गया हो तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 6- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 7- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-निवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 8- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 9- विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

की

(2)

- 10- विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि/भवन में ही विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूमि/भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा शाखा हेतु उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- 11- उक्त शर्तों में मण्डलीय समिति/राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए आनेवायें हांगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती गयी है तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवटीय

(श्रीमती)कमला सिंह चौहान
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर।/
सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति।

पृ0सं0: मा0मु0नगर/एन0ओ0सी0 / 1634-41

/2011-12 तददिनोंक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यामिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश, 18-पार्क रोड, लखनऊ।
- 3- आयुक्त(अध्यक्ष मण्डलीय समिति) सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर को समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
- 4- जिलाधिकारी(सदस्य, मण्डलीय समिति) मुजफ्फरनगर।
- 5- जिला विधालय निरीक्षक(सदस्य मण्डलीय समिति) मुजफ्फरनगर।
- 6- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विधालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- प्रबन्धक, आर्यन इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, जानसठ, मुजफ्फरनगर।
- 8- सम्बन्धित पत्रावली पर।

(श्रीमती)कमला सिंह चौहान
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर।/
सदस्य सचिव, मण्डलाय सामांते।

2011
20/11